प्रारुप-एक (नियम 3 के उपनियम (4) तथा (5) में देखिये) निर्वाचक नामवली में नाम के सम्मिलित किये जाने के लिये दावा

प्रति,		
	रजिस्ट्रार	
	मध्यप्रदेश राज्य पशु चिकि	त्सा परिषद
	भोपाल	

महोदय,

मै एतद् द्वारा भारतीय पशु चिकित्सा परिषद अधिनियम 1984 (1984 का स. 52) की धारा 32 की उपधारा (1) के खण्ड (क) के अधीन मध्यप्रदेश राज्य पशु चिकित्सा परिषद के लिये होने वाले निर्वाचन के लिये निर्वाचक नामावली में अपना नाम सम्मिलित किये जाने के लिये अपना दावा उक्त अधिनियम के अधीन बनाये गये मध्यप्रदेश राज्य पशु चिकित्सा परिषद नियमों के नियम 3 (4) तथा 3 (5) के अधीन दाखिल करता हूँ सुसंगत ब्यौरा निम्नानुसार है:—

नाम (बडे अक्षरो में)	::	
पता	;;	
शैक्षणिक अर्हताए	::	
पदाभिधान तथा कार्यालय का पता, यदि कोई हो	<u></u>	
दावा के लिए आधार (सबूत सहित यदि कोई हो)	;;	
	का नागरिक हूँ मध्यप्रदेश राज्य में निवास कर ो का व्यवसाय कर रहा हूँ/नियोजित हूँ।	र रहा हूँ तथा
		र के हस्ताक्षर)
स्थान	नाम	
तारीख	रजिस्टे	शन क्रमांक

प्रारुप—दो (नियम 3 के उपनियम (4) तथा (5) में देखिये) निर्वाचक नामवली के प्रारुप में किसी प्रविष्टि की बावत् आक्षेप

प्रति,

रजिस्ट्रार मध्यप्रदेश राज्य पशु चिकित्सा परिषद भोपाल

महोदय,

मै एतद् द्वारा भारतीय पशु चिकित्सा परिषद अधिनियम 1984 (1984 का स. 52) की धारा 32 की उपधारा (1) के खण्ड (क) के अधीन मध्यप्रदेश राज्य पशु चिकित्सा परिषद के लिये होने वाले निर्वाचन के संबंध में आपके द्वारा तैयार की गई निर्वाचक नामावली के प्रारुप में की निम्नलिखित प्रविष्टि की बावत अपना आक्षेप उक्त अधिनियम के अधीन बनाये गये मध्यप्रदेश राज्य पशु चिकित्सा परिषद नियमों के नियम 3 के उपनियम (4) तथा (5) के अधीन दाखिल करता हूँ:—

1.निर्वाचक नामावली के प्रारुप में जिस व्यक्ति के नाम की प्रविष्टि की बावत् आक्षेप किया गया है उस व्यक्ति का नाम (बडे अक्षरो में)	::
 जिस प्रविष्टि की बावत् आक्षेप किया गया है उसकी (विशिष्टिया) विवरण 	::
3 प्रविष्टि की बावत आक्षेप किये जाने के आधार	:
स्थान तारीख	(आक्षेपकर्ता के हस्ताक्षर) निर्वाचक नामावली के प्रारुप मै दर्ज आक्षेपकर्ता का कम स तथा नाम,आक्षेपकर्ता का पता
	(प्रति.हस्ताक्षर) निर्वाचक नामावली के प्रारुप मे दर्ज प्रति हस्ताक्षर करने वाले व्यक्ति का कृ.स.तथा नाम प्रतिहस्ताक्षरित करने वाले व्यक्ति का पता

FORM - I

(See sub-rules (4) and (5) of Rule 31 Claim for inclusion of a name in the electoral roll

To,	
The Registrar, Madhya Pradesh State Veterina BHOPAL (M.P.)	ry Council,
Sir,	
State Veterinary Council rules frame Act, 1984 (No. 52 of 1984), my claelectoral roll for the ensuring ele	(4) and 3 (5) of the Madhya Pradesh d under the Indian Veterinary Council aim for inclusion of my name in the ction to the Madhya Pradesh State of sub-section (1) of Section 32 of the n below:-
	:
I declare that I am citizen of Incand practicing veterinary medicine / e	lia, residing in Madhya Pradesh State mployed in Madhya Pradesh State.
Place :	
Date:	(Signature of claimant)
	Name:
	Registration No

FORM II

(See rule 3 (4) and 3 (5)) Objection to an entry in the draft electoral roll

п	_	
	lΟ	

The Registrar, Madhya Pradesh State Veterinary Council, BHOPAL (M.P.)

Sir,

I do hereby, file, under rules 3 (4) and 3 (5) of the Madhya Pradesh State Veterinary Council rules framed under the Indian Veterinary Council Act, 1984 (No.52 of 1984), my objection to the following entry in the draft electoral roll prepared by you in connection with the ensuring election to the Madhya Pradesh State Veterinary Council under clause (a) of sub-section (I) of Section 32 of the said Act:-

1.	Name of the person (in block letters) the entry of whose name	e
	in the draft electoral roll is objected to:	
2.	Particulars of entry objected to:	
3.	Ground of objection to the entry:	
Place	:	
Date:-		
		(Signature of objector)

Serial No. and name of objector as entered in the Draft Electoral Roll:

Address of objector:

(Counter signature)
Serial No. and Name of the person countersigning, as entered in the Draft electoral Roll.

Address of the person countersigning:

Madhya Pradesh State Veterinary Council

Format for Updation/Correction of entries in the Draft Electoral Roll 2020

Particular	Entry in Draft Electoral Roll	Upadation/Correction
Registration No. in MPSVC		
Name		
Father's Name		
Date of Birth		
Mobile Number		
email ID		
Address		
Name of the ID Proof with No	Name of the ID	ID No.
(Attach self atteseted copy)		

Note:- Only one mobile number is allowed per voter.